न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्या:-404 / 2006 दायर तारीख 29.08.2006

69 / 2010 21.04.2010

1. भोला पिता बरदा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. मोहनलाल पिता गोकल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. घीसालाल पिता गोकल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. नाथूलाल पिता गोकल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. श्रीमती शांति बाई पति पन्ना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

............वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, भीलवाडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये सचिव महोदय वन विभाग सचिवालय जयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये उप वन संरक्षक महोदय सामाजिक वानिकी वन विभाग शास्त्री नगर भीलवाडा

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

श्री जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
निर्मल कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी
पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा०का०एक्ट०

:-निर्णय:-

दिनांक 29.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ में प्रस्तुत किया जो सुनवाई के दौरान क्षैत्राधिकार इस न्यायालय का हो जाने से वर्ष 2010 में मुन्तकील होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ जो पंजीबद्व किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ कि गई। सेटलमेंट के पूर्व बरदा पुत्र पेमा धाकड के नाम पर जमाबंदी में खाता संख्या 26 आ०नं० 25 / 2 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा, आ०नं० 27 / 28 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, आ०नं० 40 / 16 रकबा 3 बिस्वा, आ०नं० 27 / 16 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ०नं० 27 / 26 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ०नं० 27 / 47 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आ०नं० 27 / 51 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एंव 27 / 27 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 8 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा लगानी 3 रुपया 10 आना मौजा नयानगर में स्थित थी। जिस पर खातेदार का अधिपत्य चला आ रहा था। सेटलमेंट के दौरान उक्त आ०नं० 792 / 24 रकबा 433 बीघा 11 बिस्वा में मिला दी गई एंव पूरे आराजीयात को जंगलात के नाम से रेवेन्यु रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। जबकि उक्त आराजी पर अधिपत्य खातेदार कृषक की हेसियत से वादीगण का चला आ रहा है। एंव इस पर जंगलात विभाग का कभी भी अधिपत्य नहीं रहा ...

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाडा)

किन आराजीयात से मिलकर बना है। एवं ये पुरी आराजीयात जंगलात के नाम पर किस अधिकार से अंकित हुई। सेटलमेंट अधिकारीयो ने वादीगण के पिता व अग्रजो को मिलान खसरे की नकल भी नही दी व सेटलमेंट अधिकारीयों ने रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकित किया कि उक्त पेरा संख्या 02 में वर्णित आराजीयात किस प्रकार किस आराजी में मिला दी गई, किन्तु सेटलमेंट के पूर्व का नक्शा एंव वर्तमान नक्शा के मिलान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण के खाते एंव अधिपत्य की उक्त पेरा संख्या 02 में वर्णित आ0नं0 792/24 रकबा 433 बीघा 11 बिस्वा में मिला दी गई एंव पूरी आराजी को बिना किसी आधार एंव अधिकार के प्रतिवादी संख्या 4 जंगलात विभाग के नाम पर अंकित कर दी गई जबकि उक्त पेरा संख्या 02 में वर्णित आराजीयात पर सेटलमेंट के पूर्व से ही वादीगण का अधिपत्य खातेदार कृषक की हेसियत से अब तक चला आ रहा हैं। वादीगण उक्त आ0नं0 25/2 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा, आ0नं0 27/28 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, आ0नं0 40/16 रकबा 3 बिस्वा, आ0नं0 27/16 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0नं0 27/26 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0नं0 27/47 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आ0नं0 27/51 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एंव 27/27 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा को खातेदार कृषक के रुप में अपने नाम पर अंकित कराने के अधिकारी हैं। वर्तमान बन्दोबस्त में उक्त आराजीयात में नये नं0 792/24 बना है। बन्दोबस्ती रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा का नया रकबा 48 बीघा 17 बिस्वा कायम हुये हैं जो वर्तमान आ0नं0 792/24 रकबा 433 बीघा 11 बिस्वा में से वादीगण खातेदार काश्तकार के रुप में अंकित किये जाने की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया है कि उक्त गत बन्दोबस्ती आ0नं0 25/2 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा, आ0नं0 27/28 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, आ0नं0 40/16 रकबा 3 बिस्वा, आ0नं0 27/16 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0नं0 27/26 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0नं0 27/47 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आ0नं0 27/51 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एंव 27/27 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के नयी आ0नं0 792/24 रकबा 48 बीघा 17 बिस्वा वादीगण के खातेदारी अधिकारों एंव अधिपत्य की है। जंगलात विभाग को विवादीत आराजीयात में कोई स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद अक्टूम्बर 2004 से जबकि वादीगण को उक्त आराजीयात जंगलात के नाम पर अंकित होने का ज्ञान हुआ से उत्पन्न होकर जारी है। पुनः वाद कारण नोटिस दिनांक 09.02.2005 से उत्पन्न होकर जारी है। वादी ने अनुतोष चाहा कि वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि **वादीगण गत बन्दोबस्ती आ0नं0 25/2 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा, आ0नं0 27/28 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, आ0नं0 40/16 रकबा 3 बिस्वा, आ0नं0 27/16 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0नं0 27/26 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0नं0 27/47 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आ0नं0 27/51 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एंव 27/27 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के वर्तमान आ0नं0 792/24 में रकबा 48 बीघा 17 बिस्वा भूमि के खातेदार कृषक है एंव उसी अनुरुप रेवेन्यू रिकार्ड में वादीगण के नाम पर अंकित फरमाया जावे।** वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात के वादीगण के अधिपत्य में किसी भी प्रकार का हस्ताक्षेप, दखलन न करे न करवाये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये समन सय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादी क्षैत्रिय वन अधिकारी नाण्डलगढ व नायब तहसीलदार बिजौलियां ने जवाबदावा प्रस्तुत कर जवाब में अंकित किया कि उक्त भूमि मौजा नयानगर ख0नं0 792/24 रकबा 433 बीघा 11 बिस्वा वन विभाग के नाम पर दर्ज है और मौके पर वन विभाग निरन्तर काबिज है और खातेदार कृषक की हेसियत से कभी भी काबिज नही रहा है। वादीगण खातेदार काश्तकार के रुप में अंकित किये जाने की डिक्री प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा जिस भूमि के बारे में वाद प्रस्तुत किया है उसका नयानगर ख0नं0 792/24 रकबा 433 बीघा 11 बिस्वा

दिये गये तथ्य आधारहीन है एवं वाद खारिज होने योग्य है। पैरोकार ने जवाब में अंकित किया कि वाद के तथ्यों को अस्वीकार कर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने से वाद खारिज किये जाने की मांग की है।

वादी ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज प्रतिलिपि नकल जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 ईएक्स पी–1, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस ईएक्स पी–2, मिलान खसरा ईएक्स पी 3, नकल जमाबंदी ईएक्स पी–4 सम्वत् 2010 से 2014, जमाबंदी ग्राम नयानगर 2014–17 ईएक्स पी 5, जमाबंदी सम्वत 2021 ईएक्स पी–6, पंजीकृत सूचना पत्र ईएक्स पी–7, पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद ईएक्स पी–8 से 11, के दस्तावेजात वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में राजस्थान राजपत्र दिनांक 08.11.1948, प्रतिलिपि निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट प्र0स0 171/96 दिनांक 12.12.1996, जमाबंदी सम्वत् 2064 से 67 खाता संख्या 538 मौजा नयानगर दस्तावेजात प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि वादग्रस्त आराजीयात नं0 25/2, 27/28, 46/16, 27/16, 27/26, 27/47, 27/51, 27/27 कुल किता 8 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी अधिकार अधिपत्य की भूमि है जिसे दौराने भूप्रबन्ध बिना सक्षम आदेश के प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई। वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात के हाल बन्दोबस्ती आराजी नं0 792/24 रकबा 433 बीघा 11 बिस्वा में से रकबा 48 बीघा 17 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य हैं। ....जिम्मेवादीगण
2. आया कि वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। .....जिम्मे वादीगण
3. आया कि वादग्रस्त भूमि वन विभाग के कब्जे व बाउन्ड्री के अन्दर है जिससे वादपत्र चलने योग्य नही है। ....जिम्मे प्रतिवादीगण

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू. 1 धीसालाल पिता गोकल धाकड़ निवासी फतेहनगर तह0 बिजौलियां को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि वादग्रस्त जमीन मौजा नयानगर में स्थित है सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि 37 बीघा 12 बिस्वा थी। जो बरदा पिता पेमा धाकड़ सा0 बेरीसाल के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। बरदाजी मेरे दादाजी लगते है। बरदाजी के दो संताने गोकलजी व **मोला जी थी। गोकलजी फोत हो गये जिसके मोहनलाल, धीसीलाल, माधूलाल एंव** पन्नालाल फोत हो चुका है जिसकी पत्नि शांतिबाई है जमीन पर कब्जा काश्त हमारा ही पूर्वजों के नाम से चला आ रहा है। जमीन पर चार दिवारी लगाकर हम फसल काश्त करते आ रहे हैं। पुराने नाप में 37.12 बीघा एंव वर्तमान नाप के अनुसार 48.17 बीघा है। उक्त वादग्रस्त जमीन वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई। जो गलत है। उक्त जमीन का कोई मुआवजा नही दिया गया है। न ही जमी की एवज में जमीन दी गई तथा न ही किसी कोर्ट का कोई आदेश था एंव न ही हमें कोई सूचना दी गई। हमारे पूर्वजों के समय से ही मौके पर काश्त करते आ रहे है जिसमें किसी का दखलन नही है। वन विभाग के नाम दर्ज होने की जानकारी होते ही हमने नोटिस दिया फिर भी हमारे नाम दर्ज नही हुई। हमने वाद पत्र पेश किया। मेरे खाते की नकल जमाबंदी सम्वत् 2060 से 63 पेश की है जो पदर्श 1 है। नक्शा ट्रेस पेश किया है जो प्रदर्श 2 है व मिलान खसरे की नकल पेश की है जो पदर्श 3 है। जमाबंदी सम्वत 2010 से 14 पेश की है जो पदर्श 4 है। जमाबंदी सम्वत् 2014 से 17 पेश की है जो पदर्श 5 है। जमाबंदी सम्वत् 2018 से

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाड़ा)

21 पेश की है जो पदर्श 6 है। नोटिस दिया जिसकी प्रति पेश कि है जो पदर्श 7 है। रजिस्टड एडी की रसीद पेशी है जो पदर्श 8 से 11 है। प्राप्ति रसीद पेश की है जो पदर्श 12 लगायत 15 है। वादग्रस्त आराजी हमारे नाम पर दर्ज होनी चाहीये। जिरह में लिखवाया कि गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.10.1948 से पूर्व मांगी गई आपत्तियों में मेरे पूर्वजो ने आपत्ति पेश की या नही मुझे जानकारी नही है। मैने दावा लगभग 10 वर्ष पूर्व किया था। मुझे विवादीत जमीन दर्ज होने की जानकारी लगभग 15 वर्ष पूर्व हो गई थी। जानकारी होते ही हमने दावा पेश कर दिया था। मुझे इस बाबत कोई जानकारी नही थी कि जमीन किस राज्यादेश से की गई थी। मुझे गजट नोटिफिकेशन की जानकारी नही होने से उसके विरुद्व कोई कार्यवाही नही की। मेने दावा करने से पर्वू विवादीत जमीन को वन विभाग के खाते से निकलवाने के लिये केन्द्रिय सरकार में कोई कार्यवाही नही की। मैं मौके पर काश्त कर रहा हुँ। इसकी खसरा गिरदावरी मेने पेश नही की है। मेने संबंधित पटवारी से यह जानकारी नहीं कि मेरी काश्त भी रिकार्ड में दर्ज रही है या नही। यह कहना गलत है कि सन 1948 से विवादीत भूमि जंगलात के कब्जे में हो एंव जंगलात विभाग ने बाउन्ड्री कर रखी हो जबकि बाउन्ड्री हमने कर रखी है।

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू II मांगीलाल पिता गोरीलाल धाकड निवासी बेरीसाल तह0 बिजौलियां को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मैं वादीगण की वादग्रस्त जमीन को जानता हुँ। जो नयानगर मौजा में है जो वर्तमान में करीब 48.17 बीघा है। उक्त जमीन पर कब्जा काश्त नौला, मोहनलाल, घीसालाल, नाथूलाल एंव शांतिबाई का ही है। मेने जब से सूरत सम्भाली तब से मैं इन्ही का कब्जा काश्त देखता आ रहा हुँ। इसके आसपास हमारी भी जमीन है। इसलिये आते जाते रहते है। इसलिये इस जमीन को जानता हुँ। जिरह में लिखवाया कि विवादीत जमीन किसके खाते में है इसकी मुझे जानकारी है मुझे इस बात की जानकारी है कि वादीगण ने दावा वन विभाग के खाते से निकलवाकर स्वयं के नाम दर्ज कराने हेतु किया है। मेने विवादीत जमीन का राजस्व रिकार्ड नही देखा रखा है।

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू III जीमलाल पिता गोरीलाल धाकड निवासी बेरीसाल तह0 बिजौलियां को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मैं वादीगणो की जमीन को जानता हुँ जो मौजा नयानगर में 50-50 बीघा है। वादग्रस्त जमीन पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। वादीगण को खेती करता देख रहा हुँ। मैं इस जमीन पर आता जाता हुँ इसलिये जानता हुँ। जिरह में लिखवाया कि आज की तारीख में विवादीत जमीन वादीगण के खाते में दर्ज है मुझे नम्बरो की जानकारी नही है, जमाबंदी कभी नही देखी। वर्तमान में किसके खाते याद नही है यह सही है कि जमीन पेडोक्स में है। पेडोक्स में कब से है जानकारी में नही है वादी ने दावा क्यो कर रखा है मैं नही जानता हुँ।

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 4 घीसालाल पिता रूपाजी धाकड निवासी बेरीसाल तह0 बिजौलियां को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मैं वादीगणों की जमीन को जानता हुँ यह जमीन मौजा नयानगर में 50-50 बीघा है। वादग्रस्त जमीन पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। वादीगण को खेती करता देख रहा हुँ। मैं इस जमीन पर आता जाता रहता हुं इसलिये जानता हुँ। जिरह में लिखवाया कि आज की तारीख में विवादीत जमीन वादीगण के खाते में दर्ज है मुझे नम्बरो की जानकारी नही है। जमाबंदी कभी नही देखी वर्तमान में किसके खाते याद नही है। पैमाईश में नाम थी। यह सही है की जमीन पेडोक्स में [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

नाम है। 1948 में गजट नोटिफिकेशन में संरक्षित वन के नाम से दर्ज चली आ रही है। वन विभाग अपना सुरक्षित वन के कार्य करता आ रहा है। भूमि पर प्लांटेशन किया हुआ है, सघन वन है। नोटिफिकेशन के बाद कोई कब्जा काश्त वादी का नही है। वादग्रस्त भूमि को केन्द्रीय सरकार से डी फोरेस्ट अभी तक नही करवाया है। जिरह में लिखवाया कि मेने 15–50 दिन पहले एक बार मौका देखा। वादीगण की कोई भूमि नही है वन क्षैत्र की भूमि है। रिकार्ड में भूमि कब दर्ज हुई इसकी जानकारी नही है लेकिन वन विभाग के खाते में दर्ज है।

बहस उभयपक्षकरान सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि ग्राम नयानगर स्थित पुराने नं0 25/2, 27/28, 46/16, 27/16, 27/26, 27/47, 27/51, 27/27 कुल किता 8 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज बरदा की खातेदारी भूमि थी। नकले हमारे द्वारा पेश की है। सेटलमेंट में नया नं0 792/24 रकबा 433 बीघा 11 बिस्वा बना। सेटलमेंट के समय बिना सक्षम न्यायालय आदेश व खातेदारों को सुने बिना भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज कर दी। सेटलमेंट के बाद जरिये में बदलाव के कारण 48 बीघा 17 बिस्वा भूमि बनाई। सेटलमेंट अधिकारी को भू प्रबंध के दौरान खातेदारी खत्म करने का कोई अधिकार नही है। प्रश्नगत भूमि पर वादी का कब्जा है। 1948 का गजट नोटिफिकेशन प्रश्नगत भूमि पर लागू नही हो सकता है। काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही वादी खातेदार है। प्रतिवादी ने गजट नोटिफिकेशन को पदर्श नही करवाया है। वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावे।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि वादपत्र 2008 में पेश किया जबकि भूमि सम्वत् 2028 से वन विभाग के नाम चली आ रही है। वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार फोरेस्ट में दर्ज भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना डी फोरेस्ट नही किया जा सकता। उक्त प्रश्नगत भूमि के बारे में डी फोरेस्ट की कार्यवाही नही की गई। दिनांक 13.10.1948 के गजट नोटिफिकेशन से प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। गजट नोटिफिकेशन को वादीगण द्वारा आज तक चुनौती नही दी गई। कब्जे काश्त बाबत वादी ने कोई खसरा गिरदावरी पेश नही की। गजट नोटिफिकेशन से पूर्व आमंत्रित आपत्ति के समय वादीगण द्वारा कोई आपत्ति नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन इस प्रकार है।

तनकी नं0 1:–

आया कि वादग्रस्त आराजीयात नं0 25/2, 27/28, 46/16, 27/16, 27/26, 27/47, 27/51, 27/27 कुल किता 8 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी अधिकार अधिपत्य की भूमि है जिसे दौराने भूप्रबन्ध बिना सक्षम आदेश के प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई। वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात के हाल बन्दोबस्ती अराजी नं0 792/24 रकबा 433 बीघा 11 बिस्वा में से रकबा 48 बीघा 17 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य है। इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर है वादीगण के नाम भूमि दर्ज होने के संबंध में ईएक्सपी–6, ईएक्सपी–5, ईएक्सपी–4 प्रस्तुत किया जिसमें पुराने नं0 से भूमि बरदा पिता पेमा हाळड के नाम व ईएक्सपी–6 में भूमि बरदा के बजाय गोकल, गोला पिता बरदा वगैरह का नोट अंकित है। ईएक्सपी–1 जमाबंदी सम्वत् 2060 से 63 में भूमि जंगलात विभाग के नाम आ0नं0 792/24 रकबा 433 बीघा 11 बिस्वा दर्ज हुई है। भूमि जरिये गजट नोटिफिकेशन वन विभाग के नाम दर्ज हुई है। वादीगण द्वारा गजट नोटिफिकेशन को किसी न्यायालय में भी चुनौती नही दी गई

उप खण्ड अधिकारी
बिजोलिया (भीलवाड़ा)

है। चुनौती देने बाबत वादीगण ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त आराजीयात डी0डब्ल्यू 1 के बयान से 1948 के गजट नोटिफिकेशन में संरक्षित वन के नाम से दर्ज चली आ रही है। विवादीत भूमि पर वन विभाग का कब्जा है। प्लांटेशन किया हुआ है। वादग्रस्त भूमि को केन्द्र सरकार से डी फोरेस्ट अभी तक नही करवाया है। वर्तमान रिकार्ड में भूमि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है अतः यह तनकी आंशिक तौर पर वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0 2 :–

आया कि वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है जमाबंदी ईएक्सपी 1 सम्वत् 2060 से 63 जंगलात विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। वन विभाग प्रकरण में प्रतिवादी है। वादीगण के नाम स्वामित्व टाईटल क्लीयर नही है अतः वादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

तनकी नं0 3:–

आया कि वादग्रस्त भूमि वन विभाग के कब्जे व बाउन्ड्री के अन्दर है जिसपर वादपत्र चलने योग्य नही है। इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है वादी ने इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी ने गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.10.1948 की फोटोप्रति एंव सर्वोच्च न्यायालय देहली गोदावरमन बनाम यूनीयन ऑफ इंडिया निर्णय दिनांक 12.12.1996 की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। क्षैत्रिय वन अधिकारी मण्डलगढ डी0डब्ल्यू 1 ने बयान में अंकित किया कि भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होकर वन विभाग का कब्जा है। सघन प्लांटेशन है। वर्तमान में भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने से प्रस्तुत वादपत्र वादी चलने योग्य नही है अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में राय की जाती है।

उक्तानुसार तनकीयात के विवेचन के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.05.2018 को मुकाम नयानगर लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

29/05/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(कोम्प नयानगर)